भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *232

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम

*232. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में अधिसूचित राज्य पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार (पीईएसए) नियमावली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित पांचवीं अनुसूची के कतिपय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा करने और उनका निपटान करने के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को अपीलीय या अभिभावी शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु ग्राम सभा के फर्जी या हेराफेरी से प्राप्त सहमति प्रस्तावों के उपयोग से जुड़े मामलों का संज्ञान लिया है; और

(घ) "स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सम्मति (एफपीआईसी)" के सिद्धांत को अधिदेशित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं कि पीईएसए-ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) डिजिटल पोर्टल से उक्त जमीनी स्तर के प्रस्तावों की प्रभावी संपरीक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम' के संबंध दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *232 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) जी हाँ, महोदय। कुछ पेसा राज्यों**,** अर्थात् आंध्र प्रदेश**,** छत्तीसगढ़**,** हिमाचल प्रदेश**,** महाराष्ट्र**,** राजस्थान और तेलंगाना में**,** उनके पेसा नियम जिला-स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को अपीलीय या अभिभावी शक्तियाँ प्रदान करते हैं**,** ताकि वे पाँचवें अनुसूची क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में ग्राम सभाओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा कर उनका निपटान कर सकें। चूँकि यह राज्य का विषय है, पंचायती राज मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों और राज्य सरकारों की रिपोर्टों का विवरण नहीं रखा जाता है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है।"पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसा अधिनियम) के प्रावधानों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार, जिसके पास पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र हैं (जिन्हें पेसा राज्य कहा जाता है), की जिम्मेदारी है।

जहाँ तक पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में खनन पट्टों का प्रश्न है, पेसा अधिनियम केवल गौण खनिजों के खनन पट्टों पर लागू होता है। पेसा अधिनियम की धारा 4(k) और 4(l) के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के साथ-साथ नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत की उपयुक्त स्तर पर सिफारिशें अनिवार्य हैं। इसके अलावा, पेसा अधिनियम की धारा 4(e) के तहत, ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा किसी भी सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने से पहले, प्रत्येक ग्राम सभा इसकी मंजूरी देगी। पेसा अधिनियम के इन प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है।

धोखाधड़ी या ग्राम सभा की सहमति वाले प्रस्तावों में हेर-फेर से जुड़े मामलों/शिकायतों को संबंधित राज्य सरकार देखती है। चूँकि यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें ऐसे मामलों का ब्यौरा न तो पंचायती राज मंत्रालय को भेजती है और न ही पंचायती राज मंत्रालय ऐसे मामलों का कोई ब्यौरा रखता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि किसी भी राज्य सरकार ने पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को आसान बनाने या उनकी गति बढ़ाने के लिए फर्जी या हेर-फेर किए गए ग्राम सभा सहमति प्रस्तावों के इस्तेमाल का कोई मामला सूचित नहीं किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वन और पेड़-पौधों के संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। देश में वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए कानूनी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन वन और पेड़-पौधों के संसाधनों की सुरक्षा और वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाते हैं।

(घ) राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह पेसा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करे और उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति सुनिश्चित करे तथा साथ ही, जमीनी स्तर के प्रस्तावों की संपरीक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे।

पंचायती राज मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने और योजना प्रक्रिया की निगरानी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पेसा क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी, समेकन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए पेसा-ग्राम पंचायत विकास योजना (पेसा-जीपीडीपी) पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल जमीनी स्तर के प्रस्तावों की प्रभावी संपरीक्षा और सुरक्षा के लिए नहीं है। यह पोर्टल योजना की प्रक्रिया की निगरानी के लिए है।
